10.01.2017

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उप०। आरोपी अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी खिल्ला की उपस्थिति हेतु नियत हैं। प्रकरण में आरोपी खिल्ला को जारी गिरफ्तारी वारंट इस टीप के साथ प्राप्त की, खिल्ला की दिनांक 01.01.2015 को मृत्यु हो चुकी है तथा वारंट के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र पर संदेह का कोई प्रश्न नहीं है। अतः आरोपी खिल्ला की मृत्यु होने से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण में जप्तशुदा में संपत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम विधिवत पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

> साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर